न्यायालय उपजिला कलैक्टर,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मनमोहन मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02/2019

1. नाथी देवी पत्नी पदमाराम जाति बावरी निवासी 86 जीबी तहसील अनूपगढ़।
2. द्रोपती पत्नी सुरजाराम पुत्री पदमाराम जाति बावरी निवासी रामजीवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. सीता पत्नी देवीलाल पुत्री पदमाराम जाति बावरी निवासी 20 जीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. पूनम पुत्र श्री मनफूलराम पुत्र पदमाराम जाति बावरी निवासी 2 जीबी तहसील श्रीविजयनगर।

——— प्रार्थीगण

बनाम

1. पदमाराम पुत्र श्री भादरराम जाति बावरी निवासी 86 जीबी तहसील अनूपगढ़।
2. उप पंजीयक, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित

1. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट
2. श्री चरणजीत सिंह एडवोकेट

– प्रार्थीगण की और से
– अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से

दिनांक 31-7-19

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा 212 आरटीए. का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि वाके चक 86 जीबी–ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं0 5 पत्थर नं0 284/417 के किला नं0 4ता25 का कुल 5.135 हैक्टर कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से दज है। आंयदा प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की 1/3 हिस्सा कृषि भूमि को विवादित भूमि कहा जायेगा। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी संख्या 1 का पति प्रार्थी संख्या 2ता3 का पिता है तथा प्रार्थी संख्या 4 अप्रार्थी संख्या 1 का पौत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 की प्रार्थीगण सहित कुल 3 सन्ताने जिसमें प्रार्थी संख्या 2व3 पुत्रीया एंव मनफूल राम पुत्र था। अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र मनफूलराम का देहान्त हो गया। जिसके देहान्त उपरान्त प्रार्थी संख्या 4 ही उसका एक मात्र विधिक वारिस है तथा प्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 1 की विवाहिता पत्नि है। विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण के वाल्दि सोनाराम के नाम से दर्ज थी जो प्रार्थीगण के दादा व पडदादा भादरराम पुत्र सोनाराम के देहान्त के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 01 को विरास्तन अधिकार के तहत प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हित निहित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने 1/3 हिस्सा भूमि का घरेलू मौखिक पारिवारिक समझौता/बंटवारा के तहत 1/5 हिस्सा भूमि प्रत्येक

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण को प्रदत की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 विवादित भूमि मे प्रार्थीगण को उनके हक अधिकारों से वंचित करने के प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण को विवादित भूमि से उसके हिस्सा से बेदखल कर रकबा अन्य को बैचान करने को प्रयासरत है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को बेचान करने के अपने मकसद में कामयाब हो गया तो हम प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्याकन मुद्रा में नही आंका जा सकेगा। यह प्रकरण प्रथम दृष्टया सिद्ध है और दावा का भार संतुलन भी हमारे पक्ष में बनता है क्योंकि हमे वादाधीन भूमि विरास्त में प्राप्त हुई है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए उसे पावन्द किया जावे कि विवादित कृषि भूमि को ताफैसला वाद किसी तृतीय पक्ष को रहन बैय करने व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मदाख्लत बेजा करने से बाज व ममनू रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वर्ष 2015 में समान तथ्यों पर आधारित वाद पत्र पेश किया था जिसमें वादीगण द्वारा राजीनामा के आधार पर प्रकरण संख्या 28/2015 निस्तारित कर दाखिल दफ्तर करवाया था जिसके तहत प्रार्थीगण का हस्तगत वाद आदेश 2 नियम 2 सीपीसी की परिधि में आता है तथा इस पर धारा 11 सीपीसी के तहत रिस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है इस आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बार्ड बाई लॉ, काबिल निरस्ती है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

1. **DNJ 2012 (2) (Raj.) 1161 Neon Lawrie & Anr vs M/s. O.R. Properties & Builders (P) Ltd. & Ors** – सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 11 अभिवाक उठाया कि पश्चातवर्ती वाद रेस ज्यूडिकेटा से बाधित था– पूर्व वाद उपशामित हुआ और गुणागुण पर निर्णित नही हुआ–रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त आकर्षित करने हेतु पूर्व वाद अन्तिम रूप से गुणागण पर निर्णित होना चाहिये–निर्णित, रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नही होता है।
2. **WLN 2007 (3) 556 (Ra) Sarswati Devi (Smt.) vs Maharao Brajraj Singh & Anr.** – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश नियम 1 व 2 – अस्थाई निषेधाज्ञा–द्वितीय आवेदन–पोषणीयता–निर्णित, अस्थाई निषेधाज्ञा के एक आवेदन को अस्वीकार किये जाने के बावजूद, अस्थाई निषेधाज्ञा का द्वितीय आवेदन दायर किया जा सकेगा– मात्र इस शर्त की संतुष्टि होनी चाहिए कि पश्चातवर्ती घटनाओं में वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की जरूरत है।
3. **RLW 2010(1) (Raj) 166 Madam Mohan vs Ramesh Chand & Anr.** –आदेश 7 नियम 11, धारा 12 – वाद पत्र खारिज करना – आगे ओर वाद का वर्जन– दोनो पक्षकारों के व्यक्तिक्रम में खारिज हुए मामले में पूर्व न्याय के सिद्धान्त का उपयोजन– अभिनिर्धारित– ऐसी स्थिति में वाद आदेश 9 नियम 3 सि.प्र.सं. के तहत खारिज होना माना जायेगा न कि आदेश 9 नियम 8 सि.प्र.सं. के तहत–अतः नियम 11 के तहत वाद पत्र अन्य

Scanned by CamScanner

बातों के साथ खारिज किया जा सकता है जहां वाद पत्र में कथनों से वाद किसी विधि से वर्जित होना प्रतीत होता है– वाद पत्र न तो वाद हेतु प्रकट करता है और न ही यह दर्शाता है कि विधि से वर्जित है– पक्षकार न तो समान है– वाद गुणागुण में खारिज नही हुआ– आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. का वर्जन लागू नही होता है।

4. **RLW 2005(2) (Raj) 218 Mehar chand vs Om Prakash & Anr** – अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना– अपने पिता के जीवन काल मे पिता की पैतृक सम्पति में हिन्दू पुत्र का अधिकार– पुत्र ने घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया– भूमि हस्तान्तरण की आशंका– अस्थाई निषेधाज्ञा चाही– अभिनिर्धारित – अपने पिता की पैतृक सम्पति में एक हिन्दू पुत्र का अधिकार होता है और वह उसका विभाजन करा सकता है– अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों के सम्बन्ध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनाये रखना है और आगे किसी संभावित क्षति से सुरक्षा करना है।

5. **AIR 1976 (SC) 807 Kale and Others. vs Director OP Consolidation** – Hindu Law –Family Settlement – Principles – Necessity of registration – party to a settlement – Antecendent title – Special Appeal No. 640 of 1965. D/- 17-5-1966 (All), Reveresed. AIR 1961 Part 79 and AIR 1963 Pat 62, Overruled. (1) Contract Act (1882), Ss. 5 and 9; (3) Registration Act (1908), Section 17; (4) Evidence Act (1872), Section 115)

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

1. **RRT 2003 (1) Abdul Rahman vs Smt. Prasony Bai & Ors 559** – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 धारा 11, 24 एंव 151 रेस ज्यूडिकेटा– रेस्पोडेन्ट पिछले 20 वर्ष से कब्जा प्राप्त करने में असफल रही बावजूद कि अपीलान्ट मामला उच्च न्यायालय तक हारा–आवंटन निरस्त करने हेतु वाद – वाद खारिज किया – एक ही सम्पति व एक ही पक्षकारों के बीच रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है अलोच्य आदेश पारित करने हेतु एकल न्यायाधीश ने अधिकारिता का उपयोग किया – आदेश में अवैद्यता नही है एंव संपुष्टि की।
2. **संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 धारा 10–11** : कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नही करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य – विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारों के बीच के, या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमे से कोई दावा करते है , किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद बाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चिय किया जा चुका है।
3. **संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 22–23** : संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 वादों का प्रत्याहरण और समायोजन की धारा (4) जंहा वादी – उपनियम (1)के अधीन किसी वाद का या दावे के भाग का परित्याग करता है अथवा उपनियम (3) में निर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना वाद से या दावे के भाग से प्रत्याहत कर लेता है, वहां ऐसे खर्चे के लिए दायी होता जो न्यायालय अधिनिर्णित करे और वह ऐसी विषय – वस्तु या दावे के ऐसे भाग के बारे में कोई नया वाद संस्थित करने से प्रवारित होगा।

Scanned by CamScanner

विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरे हस्तगत प्रकरण में चस्पा नही होती है।

प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 01 के विद्धवान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कहना है कि वादाधीन भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण का अधिकार व हित निहित है। जिसे प्राप्त करने के प्रार्थीगण अधिकारी है। प्रार्थीगण के कब्जा की भूमि जो कि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम रिकार्ड में दर्ज उसे वह अन्यत्र बैय, रहन करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थी अपने अधिकार एंव अधिपत्य को बनाये रखने के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता का कथन है कि संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 वादों का प्रत्याहरण और समायोजन की धारा (4) के अन्तर्गत प्रार्थीगण नया वाद संस्थित करने के अधिकारी नही है।

हमने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्षमता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीगण के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:-

प्रथम दृष्टया प्रकरण :- प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है जिसमे प्रार्थीगण का हित निहित है। जबकि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वर्ष 2015 में समान तथ्यों पर आधारित वाद पत्र पेश किया था जिसमें वादीगण द्वारा राजीनामा के आधार पर प्रकरण संख्या 28/2015 निस्तारित कर दाखिल दफ्तर करवाया था जिसके तहत प्रार्थीगण का हस्तगत वाद आदेश 2 नियम 2 सीपीसी की परिधि में आता है तथा इस पर धारा 11 सीपीसी के तहत रिस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है इस आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बार्ड बाई लॉ, काबिल निरस्ती है तथा संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 वादों का प्रत्याहरण और समायोजन की धारा (4) के अन्तर्गत प्रार्थीगण नया वाद संस्थित करने से प्रवारित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलन :- जहां तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण के अपेक्षा अप्रार्थीगण संख्या 1 को ज्यादा असुविधा होगी एंव अप्रार्थीगण कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारो से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षति :- प्रथम दृष्टया प्रकरण एंव सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण संख्या 1 के पक्ष में तय हो चुके है। अप्रार्थीगण जो कि खातेदार काश्तकार है इस

Scanned by CamScanner

स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण संख्या 1 अपने कानूनी अधिकारो से वंचित हो जायेगें। जिससे प्रार्थीगण संख्या 1 को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

::आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये गये है इस आधार पर प्रार्थीगण न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आरटीए खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **31.07.2019** को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner